

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक - प0नि0वि0/06-योजना- 20/2026

3349(3)

दिनांक - 04/08/2026

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू राँची।

विषय:-

पथ प्रमण्डल, गुमला अन्तर्गत "कुरुमगड़-उरुवाडीह- परसा (गुमला बाँसडीह-कांसीर पथ पर) पथ (उरुवाडीह-शहीद नयमन कुजूर ग्राम लिंक पथ सहित) (कुल लम्बाई -28.090 कि0मी0) के मजबूतीकरण/राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य" हेतु रू0 19,84,24,200/- (उन्नीस करोड़ चौरासी लाख चौबीस हजार दो सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-

उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 19,84,24,200/- (उन्नीस करोड़ चौरासी लाख चौबीस हजार दो सौ रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.

यह पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व का पथ है। यह पथ कुरुमगड़ (चैनपुर-घाघरा पथ ODR) से प्रारंभ होकर उरुवाडीह, शहीद नयमन कुजूर ग्राम लिंक पथ होते हुए गुमला-बाँसडीह-कांसीर (ODR) पथ परसा को जोड़ती है। यह पथ चैनपुर, डुमरी एवं जारी प्रखण्ड के जनजातीय क्षेत्रों को गुमला प्रखण्ड मुख्यालय से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पथ है। इस पथ से लगभग 15 सुदूरवर्ती ग्राम सीधे तौर पर Connect होते हैं, जिसमें अधिकांश जनजातीय समुदाय के ग्रामीण निवास करते हैं। वर्तमान में पथ का Wearing Surface अनेक पथांशो पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस पथ का Riding Quality में सुधार कार्य हो जाने से सुदूरवर्ती जनजातीय क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से सुगम संपर्क स्थापित हो जाएगा। अतः जनहित एवं कार्यहित में यातायात के सुगम संचालन हेतु पथ के Strengthening/IRQP कार्य कराया जायेगा।

3.

इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय/ उप मुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग/लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उप शीर्ष- 01-वृहद सड़कें/विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4.

इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, गुमला होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, गुमला से की जायेगी।

5.

इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा:-

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
--------------	----------------	--------------

2026-27	रू0 1587.39360 लाख	80%
---------	--------------------	-----

2027-28	रू0 396.84840 लाख	20%
---------	-------------------	-----

6.

मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगे।

7.

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

8.

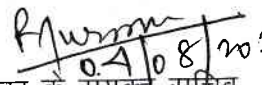
प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

9.

प्रस्ताव पर योजना मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10.

इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


04/08/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना- 20/2026 3349(5) दिनांक - 04/08/2026
 प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।
 3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
 4. योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप निधि का प्रबंध सुनिश्चित करते हुए कार्य पूर्ण किया जाय।
 5. मुख्य अभियंता (या.), पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

R. W. S. M.
 04/08/2026
 सरकार के संयुक्त सचिव,
 पथ निर्माण विभाग,
 झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना- 20/2026 3349(5) दिनांक - 04/08/2026
 प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/ सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, गुमला/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अप्पेक्ष), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (मु0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. W. S. M.
 04/08/2026
 सरकार के संयुक्त सचिव,
 पथ निर्माण विभाग,
 झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना- 20/2026 3349(5) दिनांक - 04/08/2026
 प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. W. S. M.
 04/08/2026
 सरकार के संयुक्त सचिव,
 पथ निर्माण विभाग,
 झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना- 20/2026 3349(5) दिनांक - 04/08/2026
 प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-06, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई-मेल (E-mail) से भेजने एवं ई-प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाइट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

R. W. S. M.
 04/08/2026
 सरकार के संयुक्त सचिव,
 पथ निर्माण विभाग,
 झारखण्ड, राँची।